राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Phone: 0141-2706106 (O);

पत्रांकः CCE/P&C/ISDC/Spl./2019/1084 Date: 16th August 2019

राजकीय महाविद्यालयों में अकादमिक गुणवत्ता सुधार एवं प्रबंधन हेतु निर्दिष्ट वर्गों में सेवारत / सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों से शिक्षण कार्य हेतु स्वैच्छिक आधार पर जनसहभागिता / सहयोग के लिये आमंत्रण

राजस्थान में वर्तमान में 252 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 4 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस वर्ष बजट घोषणा में 54 महाविद्यालयों का औरं सृजन किया गया है। अतः राजकीय महाविद्यालयों की संख्या लगभग 300 हो जायेगी। इन महाविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक युवाओं की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। इसलिये, पदभार अनुरुप शिक्षकों की संख्या में हर वर्ष कमी रह जाती है। सरकार के स्तर पर भी शिक्षकों के पदों की स्वीकृत संख्या अनुरुप पद भरने के प्रयास किये जा रहे हैं, तथापि अध्यापन हेतु वैकल्पिक/तात्कालिक व्यवस्था किया जाना अति–आवश्यक है। हमारा उद्देश्य है कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी के कारण नुकासान नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह उनका अधिकार भी है और हमारा दायित्व भी। इसके लिये हम ई–कंटैन्ट भी तैयार करवाशे हैं, जिन्हें हम महाविद्यालयों के साथ साझा करने जा रहे हैं।

साथ ही महाविद्यालयों में शोध कार्य को प्रोत्साहन हेतु भी विषय/शोध विशेषज्ञों से निःशुल्क शोधकार्य हेतु विशेष अध्यापन/ कार्यशाला आयोजन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं को अन्तर्गत रखते हुए स्वैच्छिक आधार पर जनसहभागिता/सहयोग की अपेक्षा के साथ निःशुल्क सहयोग हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं–

आवेदन हेतु योग्य कौन : (केवल निम्नलिखित 02 श्रेणी वर्ग के ही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं)

1. राज्य वित्तपोषित संस्थानों यथा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, विकास अध्ययन संस्थान आदि, में सेवारत अथवा उनसे सेवानिवृत्त प्रोफेसर/सह आचार्य/सहायक आचार्य/व्यख्याता गण।
2. राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से डॉक्टरल/पोस्ट डॉक्टरल शोधार्थी।

आवेदक कहां एवं कितने समय पढायेंगे :

1. आवदेक की स्वेच्छा से चयनित महाविद्यालय में उन्हें अपने विषय से संबंधित से अध्यापन का अवसर मिलेगा।
2. अध्यापन का समय 1 घण्टे से लेकर अधिकतम 3 घण्टे तक आवेदक की स्वेच्छानुरुप निर्धारित किया जा सकेगा, परन्तु समय सारिणी में बार बार बदलाव का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
3. आवेदक के लिये आवश्यक है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डानुरुप योग्यताधारी हो अथवा उन्हें उच्च स्तर का शोध अनुभव हो, जिसका कि लाभ महाविद्यालय में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को मिल सके।

विषय/शोध कार्य अध्यापन हेतु मानदेय अथवा वित्तीय लाभ :

1. यह व्यवस्था पूर्णतः निः:शुल्क आधार पर आयोजित की जानी है।
2. इस व्यवस्थानतर्गत अध्यापन/सहयोग हेतु किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा, और ना ही इस प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु कोई यात्रा भत्ता दिया जाना है।

आवेदन कैसे एवं कहां करें :

1. इस प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक आधार पर निःशुल्क सहयोग का प्रस्ताव सादे कागज पर आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को **commissioner.cceraj@gmail.com** ई–मेल पर प्रेषित करें।

2. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में व्यक्तिशः भी प्रस्ताव अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी प्रेषित किये जा सकते हैं। हमार पता इस प्रकारं है–

आयुक्त कॉलेज शिक्षा
ब्लॉक –4, राधा कृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर– 302015

3. इस संबंध में यह स्पष्टतः निर्देशित है कि आवेदकों को केवल आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में ही आवेदन करना है। प्राप्त आवेदनों पर आयुक्तालय स्तर से ही अन्तिम चयन करके महाविद्यालयों को सूचित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में ना तो महाविद्यालय सीधे ही किसी का आवेदन स्वीकार करेंगे, और ना ही इस संबंध में कोई निर्णय लेंगे।

4. आवेदकों को भी उनके प्रस्ताव पर आयुक्तालय स्तर पर विचार कर आयुक्तालय की ओर से अथवा संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से सम्पर्क कर उचित सूचना प्रेषित की कर दी जायेगी।

5. इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता हेतु डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज, प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को मोबाइल नम्बर 9414304650 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रदीप कुमार बोरड, IAS
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, एवं
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/P&C/ISDC/Spl./2019/1085-86; Date: 16th August 2019
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, HRD/PI/P&C/Acad./Admn./RUSA/RVRES, आकाशि, जयपुर।
7. सभी सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
8. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
9. डा. विनोद कुमार भारद्वाज, प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास, आकाशि को इस परियोजना की मॉनिटरिंग हेतु।
10. वैब प्रभारी को आकाशि की वैबसाइट पर अपलोड/संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा